International Journal of Political Science and Governance 2022; 4(2): 114-117

E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
IJPSG 2022; 4(2): 114-117
www.journalofpoliticalscience.com
Received: 11-08-2022
Accepted: 07-10-2022

राजेन्द्र प्रसाद कुमावत
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग
जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान, भारत।

Corresponding Author:
राजेन्द्र प्रसाद कुमावत
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग
जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान, भारत।

भारतीय संघवाद बनाम 'एक राष्ट्र एक चुनाव'

राजेन्द्र प्रसाद कुमावत

सारांश
लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराए जाने के मसले पर लम्बे समय से बहस चल रही है भारतीय शासन व्यवस्था में 1952–1967 तक के काल में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही सम्पन्न हुए। इसके बाद सरकारों का अस्थिर काल शुरू हुआ जिसका परिणाम चुनावों के समय में अनियमितता का दौर प्रारम्भ हुआ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी इस विचार का समर्थन कर इसे आगे बढ़ाया। एक राष्ट्र, एक चुनाव का कोई निश्चित अर्थ नहीं माना गया अर्थात कोई पैमाना निर्धारित नहीं किया गया है। सरकार की मंशा के अनुसार एक राष्ट्र एक चुनाव में लोकसभा और विधानसभा चुनावों को ही शामिल किया गया है जबकि भारतीय संविधान में तीन प्रकार के चुनावों में जनता प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता निभाती है जिसमें विद्वानों द्वारा स्थानीय स्वशासन के चुनाव भी एक साथ करवाने का सुझाव रखा है क्योंकि तीनों चुनावों की अवधि पाँच वर्ष ही निर्धारित की गई है। प्रस्तुत शोध पत्र में एक साथ चुनाव के पक्ष एवं विपक्ष में तर्कों का विश्लेषण करेंगें जिसमें कुछ विद्वान इसके विपरीत संघवाद का ढाँचा नष्ट होने की बात करते है जबकि कुछ एक साथ चुनाव का समर्थन करते है जिसके लिए क्या संविधान में संशोधन अपेक्षित है उनका भी विश्लेषण करके सुझाव प्रेषित किए गए है।

मूल शब्दः संघवाद, केन्द्र–राज्य संबंध, निर्वाचन आयोग, विधि आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग।

प्रस्तावना

एक राष्ट्र एक चुनाव की माँग एक वर्तमान काल की घटना नहीं है अपितु इसकी माँग 1982–83 में निर्वाचन आयोग ने एक साथ चुनाव करवाने का सुझाव प्रस्तुत किया था। इसके पश्चात् मुख्यतः विधि आयोग की रिपोर्ट 1999 में प्रस्तुत की गई, जिसकी अध्यक्षता बी.पी. जीवन रेड्डी ने की। जिसमें विधि आयोग ने एक साथ चुनाव करवाने की सिफारिश की।[1] सन् 2003 में लालकृष्ण आडवानी ने प्रस्ताव को लागू करने की सिफारिश की। 2015 में संसदीय स्थायी समिति ने एक समान सुझाव प्रस्तुत किया। इसके पश्चात् यह माँग 2017 में भारतीय अर्थशास्त्री विवेक देवराय के शोधपत्रों में भी प्रकाशित हुई। 2018 विधि आयोग की ड्राफ्ट रिपोर्ट में सुधार के सुझाव दिये गए लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में बी. जेपी. द्वारा अपने घोषणा पत्र में एक राष्ट्र–एक चुनाव की घोषणा की।[2] वर्तमान में जून 2019 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वापस इस सुझाव को दोहराया और निर्वाचन आयोग ने भी एक साथ चुनाव करवाने में अपनी समर्थता जताई। इस सुझाव को धरातलीय स्तर पर लागु करने के लिए जून, 2019 में All party meeting का आयोजन भी किया गया तथा 26 नवम्बर 2020 को All India Presidents की 80वीं बैठक में भी यह मुद्दा केन्द्र बिन्दु रहा है। एक राष्ट्र एक चुनाव की देश में जागरूकता लाने के लिए बी.जे.पी. द्वारा देश में 25 वेबिनार का आयोजन भी किया जा रहा है। इसी के साथ कुछ राजनीतिक दलों ने इस विचार से सहमति जताई, जबकि ज्यादातर राजनीतिक दलों ने विरोध किया। उनका विचार है कि यह विचार लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। जाहिर है कि जब तक इस विचार पर आम राय नहीं बनती तब तक इसे धरातल पर उतारना संभव नहीं होगा।

▪ क्यों है जरूरत एक राष्ट्र एक चुनाव की

किसी भी जीवंत लोकतंत्र में चुनाव एक अनिवार्य प्रक्रिया है स्वस्थ एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला होते है, भारत जैसे विशाल देश में निर्बाध रूप से निष्पक्ष चुनाव करवाना हमेशा से एक चुनौती रहा है अगर हम देश में होने वाले चुनावों पर नजर डाले तो पाते है कि हर वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते है। चुनावों की इसी निरंतरता के कारण देश हमेशा चुनावी मोड में रहता है इससे न केवल प्रशासनिक एवं नीतिगत निर्णय प्रभावित होते है बल्कि देश के खजाने पर भी भारी बोझ पड़ता है

इन सबसे बचने के लिए नीति निर्माताओं ने लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ करवाने का विचार बनाया है।

एक देश एक चुनाव कोई अनूठा प्रयोग नहीं है, क्योंकि 1952, 1957, 1962, 1967 में ऐसा हो चुका है जब लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाये गये थे। यह क्रम तब टूटा जब 1968–69 में कुछ राज्यों की विधानसभाएँ विभिन्न कारणों से समय से पहले भंग कर दी गई और 1971 में लोकसभा चुनाव भी समय से पहले हो गए थे। जाहिर है जब इस प्रकार के चुनाव पहले भी करवाऐं जा चुके है तो अब करवाने में क्या समस्या हैं। एक तरफ जहाँ कुछ जानकारों का मानना है कि अब देश की जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई, लिहाजा एक साथ चुनाव करा पाना संभव नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ विश्लेषक कहते है कि अगर देश में जनसंख्या बढ़ी है तो तकनीकी और अन्य संसाधनों का विकास हुआ है। इसलिए एक देश एक चुनाव की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। किन्तु इन सबसे इसकी सार्थकता सिद्ध नहीं होती इसके लिए हमें इसके पक्ष और विपक्ष में दिए गए तर्कों का विश्लेषण करना होगा।

▪ एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में तर्क

जब हम एक देश एक चुनाव की बात करते है तो सबसे प्रमुख समस्या शासकीय संकट की समस्या का निदान किया जा सकता है। जाहिर है लगातार चुनावों के कारण देश में बार–बार आचार संहिता लागू करनी पड़ती है। इसकी वजह से सरकार आवश्यक नीतिगत निर्णय नहीं ले पाती है और विभिन्न योजनाओं को लागू करने की समस्या आती है इसके कारण विकास कार्य प्रभावित होते है, आचार संहिता का प्रयोग चुनावों की निष्पक्षता को बनाऐं रखने के लिए किया जाता है। इसके तहत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव अधिसूचना जारी करने के बाद सत्ताधारी दल के द्वारा किसी नयी परियोजना की घोषणा, नई स्कीमों की शुरूआत या वित्तीय मंजुरी और नियुक्ति की प्रक्रिया की मनाही रहती है इसके पीछे निहित उद्देश्य यह है कि सत्ताधारी दल को चुनाव में अतिरिक्त लाभ न मिल सकें। इसलिए देश में यदि एक ही बार लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव कराया जाए तो आदर्श आचार संहिता कुछ ही समय तक लागू रहेगी और इसके बाद विकास कार्यों को निर्बाध पूरा किया जा सकेगा।

एक देश एक चुनाव के पक्ष में **दूसरा** तर्क यह है कि इससे बार–बार चुनावों में होने वाले भारी खर्च में कमी आएगी। गौरतलब है कि बार–बार चुनाव होते रहने से सरकारी खज़ाने पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है यह अतिरिक्त खर्च, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सेवाओं पर खर्च किया जा सकता है।

एक देश एक चुनाव के पक्ष में दिए जाने वाले **तीसरे** तर्क में कहा जाता है कि इससे काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है कि चुनावों में राजनीतिक दलों को पूँजीपतियों द्वारा पार्टी को फण्ड दिया जाता है, जिसके कारण पार्टी की सरकार बनने के पश्चात् पूँजीपतियों के हित में सरकार नीतियाँ बनाएगी जिसे **क्रोनी केपिटलीज़्म** कहा जाता है। इससे सरकार द्वारा नीतियों में घपला करके पूँजीपति घराने को लाभ पहुँचाया जाता है।

एक देश एक चुनाव के पक्ष में **चौथा** तर्क यह दिया जा सकता है कि इससे सामाजिक समरसता को बार–बार, छिन्न–भिन्न होने से बचाया जा सकता है भारतीय चुनाव व्यवहार की प्रमुख विशेषता जिसमें, साम्प्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, राष्ट्रवाद आदि मुद्दों को चरम परिणति पर रखा जाता है जिसमें राजनीति दलों द्वारा वोटों का ध्रुवीकरण किया जाता है। राहत इंदोरी "सरहदों पर तनाव बहुत क्यों है, जरा पता करों चुनाव है क्या।" ऐसे राजनीतिक दलों द्वारा तनाव का माहौल पैदा किया जाता है जिससे राष्ट्रवाद जैसी भावना फैलाकर वोट बैंक सुनिश्चित किया जाता है। इस वजह से देश में बार–बार सामाजिक ताने–बाने को भंग होने से बचाया जा सकता है। पाँच साल में एक बार चुनाव होगा तो समाज में कड़वाहटें कम हो जाएगी।

इसके पक्ष में पाँचवा तर्क यह है कि एक साथ चुनाव कराने से सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा बलों को बार–बार चुनावी ड्यूटी पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे उनका समय तो बचेगा ही और वे अपने कर्तव्यों का पालन भी सही तरीके से कर पाऐंगें आपको बता दें कि हमारे यहाँ चुनाव कराने के लिए शिक्षकों और सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों की सेवाऐं ली जाती है जिससे उनका कार्य प्रभावित होता है इतना ही नहीं निर्बाध चुनाव कराने के लिए भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती के अलावा बार–बार होने वाले चुनावों में आम–जनजीवन भी प्रभावित होता है।

▪ एक राष्ट्र एक चुनाव के विपक्ष में तर्क

एक देश एक चुनाव के विरोध में विश्लेषकों का मानना है कि संविधान ने हमें संसदीय मॉडल प्रदान किया है जिसके तहत लोकसभा और विधानसभाऐं पाँच वर्षों के लिए चुनी जाती है, लेकिन एक साथ चुनाव कराने के मुद्दें पर हमारा संविधान मौन है संविधान में ऐसे कई प्रावधान है जो इस विचार के बिल्कुल विपरीत दिखाई देते है मसलन अनुच्छेद–2 के तहत संसद द्वारा किसी नये राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता है और अनुच्छेद 3 के तहत संसद कोई नया राज्य बना सकती है जहाँ अलग से चुनाव कराने पड़ सकते है।[3] इसी प्रकार अनुच्छेद 85(2) (ख) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को और अनुच्छेद 174(2) (ख) के अनुसार राज्यपाल विधानसभा को पाँच वर्ष पहले भी भंग कर सकते है। अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाकर लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है और ऐसी स्थिति में संबंधित राज्य के राजनीतिक समीकरण में अप्रत्याशित उलटफेर होने से वहाँ फिर से चुनाव की संभावना बढ़ जाती है ये सारी परिस्थितियाँ एक देश एक चुनाव के विपरीत है।

एक देश एक चुनाव के विरोध में दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि यह विचार संघीय ढाँचें के विपरीत होगा और संसदीय लोकतंत्र के लिए घातक कदम होगा। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ करवाने पर कुछ विधानसभाओं को मर्जी के खिलाफ उनके कार्यकाल को बढ़ाया या घटाया जाएगा जिससे राज्यों की स्वायत्ता प्रभावित होगी। भारत का संघीय ढाँचा संसदीय शासन प्रणाली से प्रेरित है और संसदीय शासन प्रणाली में चुनावों की बारम्बारता एक अकाट्य सच्चाई है। इसी के साथ एक साथ चुनावों का आयोजन किया जाता है तो लोकसभा, विधानसभा और पंचायतीराज संस्थाओं तीनों के चुनावों के लिए एक ही निर्वाचन सूची का निर्माण किया जाएगा जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियों में कमी होगी, तो विद्वानों का कहना है कि संघवाद का ढाँचा प्रभावित होता है।

एक देश एक चुनाव के विपक्ष में तीसरा तर्क यह है कि अगर लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाए गए तो ज्यादा सम्भावना है कि राष्ट्रीय मुद्दों के सामने क्षेत्रीय मुद्दे गौण हो जाऐंगें या इसके विपरीत क्षेत्रीय मुद्दों के सामने राष्ट्रीय मुद्दें अपना अस्तित्व खो देंगें। दरअसल लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव का स्वरूप और मुद्दे बिल्कुल अलग होते है। लोकसभा के चुनाव जहाँ राष्ट्रीय सरकार के लिए होते है वहीं विधानसभा के चुनाव राज्य सरकार का गठन करने के लिए होते है। इसलिए लोकसभा में जहाँ राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को प्रमुखता दी जाती है, तो वहीं विधानसभा चुनावों में क्षेत्रीय महत्व के मुद्दे आगे रहते है। इसके अलावा अगर राष्ट्रीय नेतृत्व

में करिश्माती नेतृत्व का नेता हो तो भी राज्य विधानसभा चुनाव को अपनी लहर से प्रभावित कर सकता है।[4]

इसके विपक्ष में चौथा तर्क यह है कि लोकतंत्र को जनता का शासन कहा जाता है देश में संसदीय प्रणाली होने के नाते अलग–अलग समय पर चुनाव होते रहते है और जन प्रतिनिधियों को जनता के प्रति लगातार जवाबदेह बना रहना पड़ता है। भारतीय पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने कहा "बार–बार चुनाव होने से उत्तरदायित्व बढ़ता है लोकतंत्र में खर्चे उठाना बड़ा संकट नहीं जितना उत्तरदायित्व का न होना संकट है।"[5] इसके अलावा कोई भी पार्टी या नेता एक चुनाव जीतने के बाद निरंकुश होकर काम नहीं कर सकता क्योंकि उसे छोटे–छोटे अंतरालों पर किसी न किसी चुनाव का सामना करना पड़ता है विश्लेषकों का मानना है कि अगर दोनों चुनाव एक साथ कराए जाते है तो ऐसा होने की आशंका बढ़ जाएगी।

एक देश एक चुनाव के विपक्ष में अन्य कारणों में यह तर्क भी दिया जाता है कि भारत जनसंख्या के मामले में विश्व का दुसरा सबसे बड़ा देश है लिहाजा बड़ी आबादी और आधारभूत संरचना के अभाव में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराना सही प्रतीत नहीं होता है। One Nation, One Election" की अवधारणा की अवधारणा 'One Leader' को प्रोत्साहित करती है इसके अलावा क्षेत्रीय पार्टियों के अस्तित्व को चुनौती, राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ कमजोर होना जो भारतीय संघवाद के लिए एक चुनौती मानते है।

▪ एक राष्ट्र एक चुनाव के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

- इसकी राह में सबसे बड़ी चुनौती लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को समन्वित करने की है ताकि दोनों का चुनाव निश्चित समय के भीतर हो सके।
- राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के साथ समन्वित करने के लिए राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को तद्नुसार बताया और घटाया जा सकता है लेकिन इसके लिए कुछ संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी।
- अनुच्छेद 83: इसमें कहा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तिथि से पाँच वर्ष का होगा।
- अनुच्छेद 85: यह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 172: इसमें कहा गया है कि विधानसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तिथि से पाँच वर्ष का होगा।
- अनुच्छेद 174: यह राज्य के राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 356: यह केन्द्र सरकार को राज्य में संवैधानिक मशीन की विफलता के मद्देनजर राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है।[6]

इसके अलावा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के साथ–साथ संबंधित संसदीय प्रक्रिया में भी संशोधन करना होगा। एक देश एक चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों को राजी करना आसान काम नहीं है। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है एक देश–एक चुनाव की अवधारणा देश के संघात्मक ढाँचे के विपरीत सिद्ध हो सकती है इसके अलावा चुनाव में बड़ी मात्रा में खर्च होने वाला धन भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले कारणों में सबसे ऊपर है ऐसे में चुनाव की बारम्बारता में रोक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत कदम साबित हो सकता है।

वर्तमान में मतदान करने के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक EVM का उपयोग एक VVPAT के साथ किया जा रहा है। लोकसभा और विधानसभाओं में चुनाव एक साथ करवाने पर इनकी संख्या दोगुनी हो जाएगी। अतिरिक्त मतदानकर्मियों और चाक–चौबंध सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता और यह काम केन्द्रीय पुलिस बलों की संख्या बढ़ाए बिना करना संभव नहीं है। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में EVM और VVPAT मशीनों को सुरक्षित रखना भी एक बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि निर्वाचन आयोग को वर्तमान में इन्हें सुरक्षित रखने की समस्या से जूझना पड़ रहा है।

विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट

- वर्ष 1999 विधि आयोग ने अपनी 170 वीं रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने का समर्थन किया था।
- चुनाव सुधारों पर विधि आयोग की इस रिपोर्ट को देश में राजनीतिक प्रणाली के कामकाज पर अब तक के सबसे व्यापक दस्तावेजों में से एक माना जाता है। इस रिपोर्ट का एक पुरा अध्याय इसी मुद्दे पर केन्द्रित है।
- राजनीतिक चुनाव सुधारों से संबंधित इस रिपोर्ट में दलीय सुधारों की बात भी कही गई है राजनीतिक दलों के कोष चन्दा एकत्रित करने के तरीके और उसमें अनियमितताऐं तथा इन सबका राजनीतिक प्रक्रियाओं पर प्रभाव आदि का भी इस रिपोर्ट में विश्लेषण किया गया है।
- आज ई.वी.एम. में नोटा (NOTA) का जो विकल्प है, उसकी सिफारिश भी विधि आयोग ने अपनी इस रिपोर्ट में नकारात्मक मतदान की व्यवस्था लागू करने की बात कहकर की थी। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर यह विकल्प मतदाताओं को दिया गया।[7]

निष्कर्ष

चुनावों को लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है अगर हम देश में होने वाले चुनावों पर नजर डालें तो पाते है कि हर वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते है चुनावों की निरन्तरता के कारण देश लगातार चुनाव मोड में बना रहता है इससे न केवल प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय प्रभावित होते है बल्कि देश के खजाने पर भी भारी बोझ पड़ता है। हाल ही में हुए 17वीं लोकसभा के चुनाव में एक अनुमान के अनुसार, 60 हजार करोड़ रूपये से अधिक का खर्च आया और लगभग देश तीन महीने तक चुनावी मोड में रहा।

निश्चित ही ऐसी परिस्थितियों में 'एक देश एक चुनाव' विचार पहली नज़र में अच्छा प्रतीत होता है, पर यह व्यवहारिक है या नहीं, इस पर विशेषज्ञों की अलग–अलग राय है। बेशक बार–बार होने वाले चुनावों से स्थायित्व वाली सरकार बेहतर होती है लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है आम सहमति का होना और यह कार्य बेहद मुश्किल है। राजनीतिक सर्वसम्मति के अभाव में संविधान में आवश्यक संशोधन करना सम्भव नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत पड़ेगी जो बिना आम सहमति के नहीं किया जा सकता।

एक देश एक चुनाव के विचार को वर्तमान में लागू कर पाना सम्भव नहीं है लेकिन सभी पार्टियों की आम सहमति तथा इसे दो–तीन चरणों में लागू करके संभव बनाया जा सकता है इसके अलावा राजनीतिक संस्कृति को विकसित किया जाना चाहिए जिससे लोगों में 'एक देश एक चुनाव' के प्रति समझ विकसित हो। भारतीय लोकतंत्र एक विकासात्मक लोकतंत्र है जिसमें यह परिवर्तन क्रमिक रूप से संभव बनाया जा सकता है तथा राज्यों में संघवाद प्रभावित होने के डर को कम किया जाकर इसे लागू किया जा सकता है। बी.पी. जीवन रेड्डी विधि आयोग द्वारा जर्मनी से प्रभावित 'रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव' को भारत में लागू करने का भी सुझाव पेश किया है जिसके द्वारा वर्तमान सरकार को हटाकर वैकल्पिक स्थायी सरकार का गठन किया

जाएगा, जिसमें सरकार की स्थिरता को बनाए रखा जा सकता है। दुसरे चुनाव करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें केवल नेतृत्व परिवर्तन होगा।

संदर्भ

1. lawcommissionofindia.nic.in
2. www.bjp.org
3. बसु, डी.डी. : भारत का संविधान एक परिचय, लेक्सिस नेक्सिस प्रकाशन, 2015, पृ. 85
4. मंगलानी, रूपा : भारतीय शासन एवं राजनीति, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, पृ. 532
5. thehindu.com, 24 Feb., 2017.
6. बसु, डी.डी. : भारत का संविधान एक परिचय, लेक्सिस नेक्सिस प्रकाशन, 2015, पृ. 435–36
7. lawcommissionofindia.nic.in